राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:- प.5(19)राज-6/98/4 जयपुर, दिनांक:- 28-3-2000

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम संख्या-15 वर्ष 1956) की धारा 260 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या 3 वर्ष 1955) की धारा 48, एवं 53 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 24ए एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 के अन्तर्गत तहसीलदार पर अधिरोपित कर्त्तव्यों एवं शक्तियों का प्रयोग उन्हीं क्षेत्रों में जहां सर्वे, एवं भू-अभिलेख का कार्य चल रहा है वहां संबंधित सहायक भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के भीतर प्रयोग में लिया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

27/3/2000

(शिव कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव/राजस्व मंत्री/राजस्व सचिव/
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
5. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
6. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राज0, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक दिनांक 28-3-2000 में प्रकाशनार्थ।
7. "राविरा" राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. निबन्धक (वित्त एवं लेखा), राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. विधि संहिताकरण विभाग।
10. राजस्व (समन्वय) विभाग।
11. राजस्व (ग्रुप-1) विभाग उनके पत्रांक प.13(12)राज.1/90 के क्रम में।
12. संयुक्त रजिस्ट्रार, न्यायाधीश पुस्तकालय, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
13. रक्षित पत्रावली।

27/3/2000

शासन उप सचिव